न्यायालय :— राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4630

(69)

प्र.क. /2017 निगरानी

महिला मक्खों पत्नी हरज्ञान काछी निवासी
आमोलपठा तहसील करैरा जिला शिवपुरी

........आवेदक

बनाम

राजकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल सोनी
समस्त निवासी ग्राम आमोलपठा तहसील
करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

..........अनावेदक

श्री एस.पी. धाकड़ एडवो. द्वारा आज दि. 24.11.2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24.11.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं० दि० 8-02-18

25.11.17

24.11.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्रक. 110/2016—17/अपील में पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि ग्राम आमोलपठा तह. करैरा स्थित शासकीय भूमि से काविल काश्त करते हुये आवेदिका का लम्बे समय से कब्जा होने से कब्जे के आधार पर विशेंष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अधीन होने से तहसील न्यायालय को अधिकारिता होने से तहसीलदार करैरा के प्र.क. 393/अ—19/1996—97 पर दर्ज किया जाकर विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कराया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर स्वतंत्र साक्ष्य लेते हुये तथा विधिवत शासन निर्देशो के अनुसार शासकीय भूमि सर्वे क. 1187/6 रकवा 1.900 हे. का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.09.1997 से पारित किया गया है। उनके नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर पटवारी अभिलेख मे भूमि वर्ष 1997 से भूमिस्वामी दर्ज है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4630

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों। **सदस्य** **आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	